www.ecourtsindia.com

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला–उधमसिंह नगर।</u>
फौजदारी वाद सं0 44/2023(क0नं0–140/2023)
राज्य बनाम आसिफ आदि

एफ0आई0आर0 सं0–650/2022
अन्तर्गत धारा–380, 411, 457 भा0द0स0
थाना–काशीपुर

<u>दिनांक 09.05.2023</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त बसरूद्दीन उर्फ बसरू की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता इस आशय से पेश किया गया कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मामले में अभियुक्त आसिफ की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अमित रस्तोगी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा–380, 457, 411 भा0द0स0 मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार पाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को **20,000/– (बीस हजार) रूपये** का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(मिथिलेश पाण्डेय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/UKUS060003022023-orderno-1.pdf